परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 15 अप्रैल, 1977 को 3.00 बजे अपरान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1977 की तृतीय बैठक का कार्यवृत

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1)	श्री वी0एन0 स्वरूप		अध्यक्ष
(2)	श्री वी0एन0 नन्दा	आवास आयुक्त	सदस्य
(3)	श्री सत्तार अहमद		सदस्य
(4)	श्री अरविन्द वर्मा	विशेष सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(5)	श्री पी0आर0 व्यास भौमन	(आयुक्त एवं सचिव, स्वा0 शासन एवं निवास विभाग	सदस्य
(6)	श्री जे0पी0 दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(7)	श्री के0एन0 द्विवेदी	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(8)	प्रो0 दिनेश मोहन	निदेशक, सी0बी0आर0आई0	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्रम सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1.	2.	3.	4.
(1)	परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1977 को हुई वर्ष-1977 की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	III/(1)/77	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 30 मार्च, 1977 को हुई वर्ष 1977 की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
(2)	परिषद् की वर्ष-1977 की द्वितीय बैठक दिनांक 30 मार्च, 1977 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	III/(2)/77	परिषद् ने वर्ष-1977 की द्वितीय बैठक दिनांक 30 मार्च, 1977 के कार्यवृत्त के अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया।
(3)	परिषद् के बजट-1977-78 तथा ओपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेंसेज़ के संबंध में।	III/(3)/77	परिषद् द्वारा 1977-78 के बजट पर पुनः विचार किया गया और उसके उपरान्त सर्वसम्मति से परिषद् ने वर्ष-1977-78 के बजट का अनुमोदन किया।
(4)	भवन्वासन योजना आगरा की भूमि में से आगरा कालेज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की भूमि अर्जन से मुक्त करने हेतु उक्त सोसाइटी से लिये जाने वाले विकास व्यय की धनराशि का निर्धारण।	III/(4)/77	परिषद् ने भवन्वासन योजना आगरा की भूमि में से आगरा कालेज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की भूमि अर्जन से मुक्त करते हुये उक्त सोसाइटी से लिये जाने वाले विकास व्यय की धनराशि के निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को इस आपत्ति के साथ अस्वीकार कर दिया कि सोसाइटी को मांगे गये विकास व्यय को अदा करने के लिये पुनः बलपूर्वक कहा जाए।

(5) परिषद् की योजनाओं में भुगतान के आधार पर सम्पत्ति का श्रेणीकरण ।	III/(5)/77	परिषद् ने अपनी योजनाओं में भुगतान के आधार पर सम्पत्ति के श्रेणीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रस्ताव पर विचार किया जाना तभी सम्भव होगा जब परिषद् के समक्ष इस बात का पूरा ब्यौरा रखा जाय कि इसके फलस्वरूप सम्पत्तियों के विक्री पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा ।
(6) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये निर्मित किये जा रहे भवनों में आवंटियों को दी जाने वाली सहायता को समाप्त करना ।	III/(6)/77	परिषद् ने समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये निर्मित किये जा रहे भवनों में आवंटियों को दी जाने वाली सहायता को समाप्त किये जाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकेगा जब परिषद् के समक्ष आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये निर्मित भवनों के किसी प्रोजेक्ट के मूल्यांकन आदि का पूरा ब्यौरा परिषद् के समक्ष रखा जाय ।
(7) अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय ।	III/(7)/77	अध्यक्ष की अनुमति से निम्न प्रश्नों पर परिषद् द्वारा विचार किया गया और निर्णय लिया गया : 1- आर्थिक स्थिति तथा निर्माण कार्यों की परिषद् द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/प्रोजेक्ट्स की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का ब्यौरा प्रतीक त्रैमास में एक बार अवश्य परिषद् के समक्ष रखा जाना चाहिये । 2- अभी तक सम्पत्तियों का मूल्यांकन परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता रहा है । सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन के नीतियों को निर्धारित करने हेतु मामला परिषद् के समक्ष रखा जाया करे । 3- परिषद् की योजनाओं को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के संबंध में कठिनाईयों की चर्चा करते हुये यह निर्णय लिया गया कि जो कठिनाईयां इस संबंध में परिषद् के समक्ष आ रही हैं उनके संबंध में पूर्ण-रूपेण विचार करके मामले को शासन के समक्ष ले जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

1	2	3	4

4- प्रशासनिक व्यय के संबंध में चर्चा किये जाने पर यह निर्णय लिया गया कि परिषद् के समक्ष इस बात की सूचना रखी जानी चाहिये कि पिछले दो वर्षों में परिषद् द्वारा भूमि अधिग्रहण, विकास कार्यों तथा निर्माण पर पृथक-पृथक कितना व्यय किया गया और साथ ही साथ इसके विरुद्ध मुख्यालय एवं फील्ड (खण्ड एवं वृत्त स्तर) पर कितना और किस अनुपात में प्रशासनिक व्यय हुआ ।

5- परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास भत्ता दिये जाने के संबंध में पुनः विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि रु० 900/- तक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को इसी प्रकार आवास भत्ता दिया जाए जिस प्रकार शासन द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता दिया जा रहा है ।

यह भी निर्णय लिया गया कि रु० 900/- से अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को जो अपने स्वयं के भवनों में रह रहे हैं, इस भत्ते को दिये जाने के प्रश्न पर परिषद् द्वारा पुनः विचार किया जायगा ।

==========

पुष्टि की गई

अध्यक्ष

25.6.77